


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य अज

नम्बर
अहम
हुक्म
मंजूर

29.10.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग आशियात कैंप
जालिया में पेन हुई। अधिकता वादी को पूर्वमे
रुई अंतिम अवसर दिये जाने बावजूद तबकी
पेन नही की। अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा
53-88 राजस्थान शासकरी अधिनियम को
इसी स्टैज पर ओरिजिन 09 नियम 05 के
तहत खारीज किया जाता है। पत्रावली फाइल
नुमांर होकर नम्बर से कम हों।


उपखण्ड अधिकारी
भाण्डलगाढ़ जे-भीलवाड़ा

